राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2066

02 अगस्त, 2017 को उत्तर के लिए

नई इस्पात क्षमता को शामिल किया जाना

2066. श्री ए. के. सेल्वाराजः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की राष्ट्रीय इस्पात नीति के अन्तर्गत आगामी 14 वर्षों में 182 मिलियन टन नई इस्पात क्षमता शामिल करने की महत्वाकांक्षा को प्राप्त किए जाने की संभावना नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि गत दशक में केवल 60 मिलियन टन क्षमता को बढ़ाया गया है और गत पांच वर्षों में मांग स्थिर होने से इस क्षेत्र की ऋण स्थिति और खराब हो गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अनेक प्रमुख वैश्विक इस्पात उत्पादकों ने भूमि अधिग्रहण और कच्चे माल की प्राप्ति से जुड़े हुए मुद्दों के कारण विभिन्न ग्रीनफील्ड इस्पात परियोजनाओं को बंद कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क): मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार भारत की क्रूड इस्पात क्षमता 126 मिलियन टन है। राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) 2017, में घरेलू क्रूड इस्पात की क्षमता को वर्ष 2030-31 तक बढ़ाकर 300 मिलियन टन करने की परिकल्पना की गई है। इसे नीचे दर्शाया गया है, जिससे यह इंगित होता है कि वर्ष 2016-17 (अनंतिम) की तुलना में अगले 14 वर्षों में क्षमता में 174 मिलियन टन की वृद्धि होगी।

वर्ष	क्रूड इस्पात की क्षमता (एमटी)
2016-17*	126.33
2030-31^	300
वृद्धि	173.67
स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम, ^एनएसपी 2017 के अनुसार अनुमानित	

(ख): वर्ष 2007-08 से 2016-17 के दौरान 66.49 मिलियन टन क्रूड इस्पात क्षमता बढ़ाई गई है। इस अवधि के दौरान घरेलू फिनिश्ड इस्पात की खपत 6% सीएजीआर (कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट) की दर से बढी है और इसलिए, इस्पात क्षेत्र की इस वित्तीय स्थिति के कारण को इस्पात की मांग में स्थिरता से नहीं जोडा जा सकता। तथापि, वर्ष 2014-15 के दौरान इस्पात वस्तुओं की कीमतों में अधिक गिरावट होने और पूर्ण फिनिश्ड इस्पात के आयातों में वृद्धि (71%) होने के कारण इस्पात कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

(ग) और (घ): इस्पात परियोजना को स्थापित करने का निर्णय किसी निवेशक द्वारा विभिन्न घटकों जैसे कि भूमि की स्थिति, कच्चे माल की उपलब्धता, परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता, लॉजिस्टिक, इत्यादि के आधार पर लिया जाता है। कच्चे माल की उपलब्धता को सुनिश्चत करने के लिए सरकार ने माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेग्यूलेशन) अमेंडमेंट एक्ट, 2015 और कोल माइंस (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट, 2015 लागू किया है।

*****